सत्य मार्ग की खोज, सीरीज़ - 32

हिजाब

जमाअत इस्लामी हिन्द

दावत नगर, अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव, नई दिल्ली-110025

+91-9718744132 9650022638

www.islamsabkeliye.com

www.facebook.com/islamsabkeliyeofficial

हिजाब

हिजाब के हाहाकार ने इस समय पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। समाचारपत्र हो, टीवी हो या सोशल मीडिया सब पर हिजाब ही चर्चा का विषय बना हुआ है। उडुपी, कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज से आरम्भ हुए इस विवाद ने धीरे-धीरे विकराल सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और जंगल की आग की तरह तेज़ी से देश के कोने-कोने तक फ़ैल गया।

कोई कह रहा है कि धर्म को शिक्षण संस्थाओं से दूर रखना चाहिए। कोई प्रश्न कर रहा है कि देश महत्वपूर्ण है या धर्म? कुछ लोग यह भी सलाह दे रहे हैं कि शिक्षा के महत्व को देखते हुए उन छात्रों को अपनी आस्था की बलि दे देनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग उन छात्राओं के पक्ष में भी सामने आए हैं और कॉलेज के आकस्मिक निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि छात्राएं जब पहले से हिजाब धारण करती आ रही हैं तो अब उन्हें क्यों रोका जा रहा है? आख़िर मुस्लिम छात्राएं क्यों हिजाब धारण करने पर दृढ़ संकल्प हैं और इस्लाम में इसकी अनिवार्यता क्या है? आइए इसको समझते हैं।

क्या हिजाब सिर्फ़ मुसलमानों का मुद्दा है?

इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने वालों ने इसे मुसलमानों की कट्टरपन्थी सोच के प्रमाण के रूप में उजागर करने का प्रयत्न किया है। कहा जा रहा है कि मुसलमान इस इक्कीसवीं शताब्दी में भी महिलाओं को हिजाब धारण करने पर मजबूर करते हैं जो कि उनपर अत्याचार है और उनकी उन्नति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट। जबकि वास्तविकता यह है कि हिजाब यदि महिलाओं पर अत्याचार होता तो इसका आदेश दूसरे धर्मों में कदापि नहीं होता।

इस्लाम की तरह ईसाई और यहूदी धर्मों में भी हिजाब को सुचरित्रता, लज्जा और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में लिया गया है। हज़रत मरियम की प्रतिमा को सदा हिजाब में प्रस्तुत करना ईसाई धर्म में इसकी महत्ता को दर्शाता है। काफ़ी कुछ विलुप्त हो जाने के उपरान्त भी यह हिजाब की महत्ता ही है जो चर्च में महिलाएं आज भी अपने बालों को ढक लेती हैं और पादरी महिलाएं पूर्ण हिजाब से अपने शरीर को ढांक कर रखती हैं। यहूदी धर्म में विवाहित महिलाओं का विनम्रता के कारण अपने बालों को ढक लेने की प्रथा रही है और आज भी कई धार्मिक यहूदी महिलाएं इसीलिए स्कार्फ़ धारण करती नज़र आती हैं।

इस्लाम के आगमन से पूर्व का भारत हिजाब से अनभिज्ञ नहीं था। पचास वर्ष पूर्व के भारत पर ही यदि निगाह डाली जाए तो महिलाओं में घूंघट का प्रचलन आम बात थी। बल्कि अधिकतर गाँव में तो आज भी घूंघट (हिजाब का एक रूप) की प्रथा देखी जा सकती है। सिख महिलाओं में आज भी सर को ढककर रखने का प्रचलन पाया जाता है। साड़ी के पल्लू से सर और चेहरा ढकने का प्रयत्न करती महिलाएं आज भी हर जगह मिल जाती हैं। विवाह उपरान्त होने वाली मुंह-दिखाई की रस्म स्वयं दर्शाती है कि बहुओं को अपना चेहरा ढककर रखना होता है। 2016 में SARI के एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली,

राजस्थान और यूपी में 26-40 आयु वर्ग की 60% से अधिक महिलाएं घूंघट करती हैं।

इस्लाम में हिजाब

हिजाब का आविष्कार इस्लाम की देन नहीं है बल्कि यह सदा से चली आ रही एक व्यवस्था है जिसे इस्लाम ने, उसकी आवश्यकता और महत्व को देखते हुए, जारी रखा और अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। एक आदर्श और उच्च-आचरण युक्त समाज निर्माण के अपने लक्ष्य में इस्लाम ने पुरुष और महिलाओं के संबंधों को बड़ी सूक्ष्मता से परिभाषित किया है। इस्लाम का मानना है कि यदि इस सम्बन्ध को सभ्यता और शालीनता की सीमाओं में न बाँधा गया तो एक दुसरे के उत्पीड़न और शोषण का ऐसा तूफ़ान बरपा होगा जो समाज को ले डूबेगा। इसके लिए इस्लाम ने पुरुष और महिला दोनों के लिए जो सीमाएं निर्धारित की हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

निगाहों की सुरक्षा : एक दूसरे की ओर अनावश्यक देखने से बचना। राह चलती युवती को घूरकर देखने के रोग ने इस समय अधिकांश पुरुषों को अपनी चपेट में ले लिया है और आज इसे कोई बुराई नहीं समझा जाता। इस्लाम इसे सामाजिक बिगाड़ के पहले क़दम के रूप में देखता है। इसको रोकने के लिए कुरआन में निगाहों की सुरक्षा का आदेश देते हुए पहले पुरुषों से और फ़िर महिलाओं से कहा गया कि *ईमानवाले पुरुषों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें.....और ईमानवाली स्त्रियों से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें।* (कुरआन 24:30-31) तात्पर्य यह है कि किसी महिला पर यदि निगाह पड़ जाए तो उसे तुरंत हटा लिया जाए। पैग़म्बर मुहम्मद (सल.) ने किसी महिला को अनावश्यक देखने को ज़िना (बलात्कार) की संज्ञा दी है।

श्रृंगार को प्रकट न करना : इस्लाम महिला को श्रृंगार से नहीं बल्कि उसकी नुमाइश से रोकता है और इसे बिगाड़ की ओर एक बड़ा क़दम मानता है। कुरआन में महिलाओं को आदेश दिया गया कि अपने श्रृंगार प्रकट न करें, सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है। *और अपने सीनों (वक्षस्थलों) पर अपने दुपट्टे डाले रहें और अपना श्रृंगार किसी पर ज़ाहिर न करें सिवाय अपने पतियों के या अपने बापों के या.....।* (कुरआन 24:31) वक्षस्थलों को दुपट्टे से ढककर रखने की आवश्यकता हर व्यक्ति समझता है और इसका उल्लंघन करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी। इस्लाम ने समाज में बुराई पैदा होने के इस द्वार को सख्ती से बंद करने का प्रयत्न किया है।

चेहरे और बालों को ढकना : महिलाओं को यदि घर से बाहर निकलना हो तो इस्लाम की शिक्षा है कि अपने चेहरे और बालों को ढक लिया करें। *ऐ नबी! अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमानवाली स्त्रियों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। इससे इस बात की अधिक सम्भावना है कि वे पहचान ली जाएँ और सताई न जाएँ।* (कुरआन 33:59) स्पष्ट है कि यह आदेश महिलाओं पर अत्याचार के लिए नहीं उनकी

सुरक्षा के लिए दिया गया है। हिजाब धारण किए और न धारण किए महिला में किसके सताए जाने की सम्भावना कम है यह समझना कोई मुश्किल नहीं है। उपर्युक्त उल्लेख के साथ यदि निम्नलिखित बातों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हिजाब की पूरी व्यवस्था को सरलता से समझा जा सकेगा।

कपड़े ढीले होने चाहिए :

- पहने जाने वाले कपड़े ढीले होने चाहिए जो शरीर की बनावट को प्रकट न करें।
- कपड़े पारदर्शी नहीं होने चाहिए जिससे शरीर झलकता हो।
- कपड़े इतने ग्लैमरस नहीं होने चाहिए कि वे विपरीत लिंग को आकर्षित करें।
- कपड़े विपरीत लिंग के समान नहीं होने चाहिए।
- कपड़े दूसरे धर्मों को चिह्नित करने वाले नहीं होने चाहिए।

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस्लाम ने हिजाब का आदेश दिया है, मात्र अनुग्रह नहीं किया है। इसलिए इसका उल्लंघन ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन समझा जाएगा। जिस समाज में भी इस ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन किया गया है, महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के दरवाज़े खुल गए हैं। देश में इस समय महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जवान बेटी के घर वापस आने तक मां-बाप चिंता में घिरे रहते । समाचारपत्र रोज़ ही बलात्कार और छेड़-छाड़ की घटनाओं से भरे होते हैं। जब देश में हर 16 मिनट में एक बलात्कार की घटना होती हो तो स्थिति को सामान्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे में मुस्लिम महिलाएं यदि हिजाब धारण कर स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयत्न करती हैं तो इसपर हाहाकार उचित प्रतीत नहीं होता।

हिजाब महिलाओं की रक्षा के साथ उन्हें मज़बूत बनाता है

शरीर प्रदर्शन से बचाता है : महिलाओं के शरीर प्रदर्शन ने इस समय एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है जिसने उनके शोषण की अनेक नई राहें खोल दी हैं। शराब से लेकर गाड़ी तक बेचने के लिए अर्ध नग्न महिला के उपयोग ने स्कूल-कॉलेज की बच्चियों को इसी मार्ग पर जाने के लिए उत्साहित कर दिया है। हिजाब इस अंधी दौड़ से स्वयं को अलग करने का प्रयत्न और घोषणा है।

समाज की भूखी निगाहों से बचाता है : देखने वालों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह महिला किसी ग़लत कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। इससे सम्बन्ध बनाना है तो नैतिकता की सीमा में रहते हुए बनाना होगा।

सौन्दर्य नहीं, सोच मेरी पहचान है : हिजाब महिलाओं के लिए सौन्दर्य के बजाए उनकी विवेकशीलता, कुशलता और आचरण के आधार पर सम्बन्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है जिससे उनकी वास्तविक पहचान बन पाती है और वह समाज में सकारात्मक भूमिका निभा पाती हैं।

आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न करता है : शरीर के विभिन्न अंगों को नापती-तौलती निगाहों से उत्पन्न घोर

असुविधा से बचाकर हिजाब एक महिला को आत्मविश्वास और साहस से भर देता है।

आदर और सम्मान प्रदान करता है : हिजाब-धारित महिला से बात करते हुए पुरुष सतर्क और विनम्र हो जाते हैं और भद्रता की सीमा का उल्लंघन नहीं होने पाता।

ईश्वर से दृढ़ सम्बन्ध का प्रतीक है : एक अति-विपरीत वातावरण में किसी महिला का हिजाब धारण करना ईश्वर से अटूट सम्बन्ध के बग़ैर सम्भव नहीं हो सकता।

धर्म के अनुपालन में दृढ़ता दर्शाता है : अपने धर्म के आदेशों पर दृढ़ता से कार्यरत होने की घोषणा और अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है हिजाब।

महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है : जिस प्रकार महिलाओं को अपने शरीर का प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार उन्हें अपने शरीर को छिपाने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। हिजाब महिलाओं को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है।

यह संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार का उपयोग है : देश के संविधान के अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। हिजाब धारण करना अपने इस मौलिक अधिकार का उपयोग है।

क्या हिजाब शिक्षा/नौकरी की राह में रुकावट है?

अफ़सोस कि हिजाब के प्रति समाज में धारणा बन गई है कि यह महिलाओं की उन्नति और विकास के मार्ग में बाधक है और मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार और समाज के दबाव के कारण ही हिजाब धारण करने पर बाध्य होती हैं। यह एक मिथ्या और निराधार धारणा है जो बड़ी चतुरता से समाज में फैलाई गई है। कमला सुरय्या (पूर्व नाम कमला दास), जो मलयालम भाषा की प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी हैं, उन्होंने हिजाब पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था;

> *"इस्लाम की पर्दा व्यवस्था, जो नारीय गरिमा को बढ़ाती और उसके शील व नारीत्व की सुरक्षा करती है, उसी से प्रभावित होकर मैंने इस्लाम क़ुबूल कर लिया है। नक़ाब अब मेरे लिए सुरक्षा कवच है.... ।"*

ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली डा० रशेल वुडलॉक हिजाब के बारे में कहती हैं;

> *"पश्चिम में अधिकांश मुस्लिम महिलाओं ने अपनी पहचान के हिस्से के रूप में हिजाब पहनना चुना - यह एक कट्टरपंथी कार्य नहीं है।"*

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तवक्कुल करमान से जब हिजाब के प्रगतिशीलता की राह में रुकावट होने के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था;

> *"प्राचीन समय में मनुष्य लगभग नग्न रहता था, और धीरे-धीरे अपने विकास के साथ उसने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। मैं*

आज जो हूं और जो पहन रही हूं वह उस प्रगति के उच्चतम स्तर की सोच और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मनुष्य ने हासिल किया है और यह प्रतिगामी नहीं है। हिजाब को हटाना फ़िर उसी प्राचीन युग की ओर वापसी होगी।"

राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार 18-23 आयु वर्ष की मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी 2008-2018 के अंतराल में 6.7% से बढ़कर 13.5% हो गई। यह स्पष्ट प्रमाण है कि न हिजाब शिक्षा में बाधक है और न मुस्लिम लड़कियां पीछे रहना चाहती हैं। बल्कि हिजाब पर प्रतिबन्ध उनकी शिक्षा की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा।

इस्लाम ने वैसे तो महिलाओं को हर प्रकार की आर्थिक ज़िम्मेदारी से आज़ादी दे रखी है परन्तु किसी कारणवश यदि किसी महिला को नौकरी या व्यवसाय करने की आवश्यकता होती है तो इस्लाम उसे रोकता नहीं है। वह हिजाब में रहते हुए अपनी इस ज़िम्मेदारी को सरलता से निभा सकती है। समाज-सेवा और देश-सेवा के कार्य में भी हिजाब न पहले कभी बाधक हुआ है और न आज है। बाधा यदि कोई है तो वह समाज की संकुचित सोच है जो सबको तो अवसर प्रदान करती है पर हिजाब-धारित महिला की राह में हर क़दम पर नई-नई रुकावटें खड़ी करती है।

इस समय वस्तुस्थिति

हमारा देश एक बहु-सांस्कृतिक देश है। इसका उदाहरण उस बाग़ की तरह है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे फूल उसकी शोभा और आभा को कई गुना बढ़ा रहे हैं। हर फूल अपने रंग और सुगंध से हर किसी को मोहित कर रहा है और बाग़ की सुन्दरता बढ़ाने में सभी का अपना योगदान है। हर किसी की अपनी पहचान है और उसी पहचान के साथ वह देश की गरिमा को ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहा है। कोई साड़ी में नज़र आता है तो कोई शलवार-कमीज़ में। कोई साड़ी के पल्लू से अपने सर को ढंकता है, कोई दुपट्टे से तो किसी ने हिजाब धारण कर रखा है। कोई पगड़ी बांधता है तो कोई टोपी लगाता है। किसी ने हाथ में कड़ा पहना हुआ है तो किसी ने गले में क्रॉस। किसी के लिए मंगलसूत्र का बड़ा महत्व है तो किसी के लिए कलाई पर बंधे कलावे का। सब अपनी अलग-अलग पहचान के साथ इस देश को आगे बढाने में प्रयत्न-रत हैं। विभिन्नता में एकता का ऐसा प्रतीक विश्व में कहीं नहीं है।

चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए या महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्त्रीत्व की रक्षा के दृष्टिकोण से, हिजाब सबकी आवश्यकता है। महिलाओं के शरीर और उनके सर पर पड़ा हुआ हिजाब का कपड़ा हर तरफ फ़ैले हुए असामाजिक तत्वों को हतोत्साहित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हिजाब का सपोर्ट वास्तव में सभी धर्मों की शिक्षाओं और आदर्शों का सपोर्ट होगा। मात्र इसलिए कि आज हिजाब का सबसे अधिक प्रचलन मुसलमानों में है, इसका विरोध कोई बड़ी बुद्धिमत्ता की बात नहीं कही जा सकती। जो शिक्षा सबके हित में हो उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। इसी में देश और समाज का भला निहित है और यही समय की आवश्यकता है।